राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)DTA/IFMS/ 1350–1590 दिनांक 21/04/2017

परिपत्र

विषयः–निजी निक्षेप खातों से इलेक्ट्रोनिक भुगतान व्यवस्था चरणबद्ध रूप से सम्बद्ध किये जाने के क्रम में।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2015–16 के बजट भाषण में बिन्दु संख्या 192 पर की गई बजट घोषणा ''पी.डी. खातों के भुगतान हेतु ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम का उपयोग चरणबद्ध रूप से आरम्भ किया जावेगा'' एवं बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 230 ''पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से इन सभी कर्मचारियों का वेतन कोषालय के माध्यम से Draw किये जाने की व्यवस्था की जायेगी''।

बजट घोषणा 192 की पालना में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत निजी निक्षेप खातों से ईलेक्ट्रोनिक भुगतान की चरणबद्ध प्रक्रिया के प्रथम चरण में पायलट आधार पर वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक 8752–9202 दिनांक 30.09.2016 के द्वारा उक्त प्रक्रिया निम्न पी.डी. खातों से इलेक्ट्रोनिक भुगतान हेतु दिनांक 01.11.2016 से प्रारम्भ की गई है :–

1. निजी निक्षेप खातों से राज्य पेंशनर्स के आर.पी.एम.एफ. से संबंधित भुगतान
2. निजी निक्षेप खातों से संस्थाओं/निकायों/निगमों के अन्य प्रकार के भुगतान
3. निजी निक्षेप खातों से बजट मद अथवा अन्य निजी निक्षपे खातों में समायोजन

बजट घोषणा 230 की पालना में वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र संख्या 7404–8003 दिनांक 14.09.2016 के द्वारा पंचायत समितियों के पंचायतीराज कार्मिकों के संवेतन बिलों को कोषालय के माध्यम से Draw करने की व्यवस्था दिनांक 01.11.2016 लागू कर दी गई है।

''वित्तीय वर्ष 2017–18 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणा बिन्दु संख्या 305 के अनुसार राज्य सिविल पेंशनर्स के मेडिकल पुनर्भरण दावों के Online प्रस्तुतीकरण एवं दावों के e-payment की व्यवस्था की जायेगी।''

पी.डी. खातों से इलेक्ट्रोनिक भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कोष/उपकोष में संधारित पी.डी. खातों से पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक भुगतान की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2017 से प्रारम्भ की जा रही है।

नवीन प्रक्रिया के अन्तर्गत पी.डी. खातों के माध्यम से भुगतान/समायोजन हेतु पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006 दिनांक 14.09.2016 द्वारा निर्धारित प्रारूपों में http://paymanager.raj.nic.in पर जनरेट की जावेगी। पंचायतीराज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं निगम निकाय संस्थाओं के वेतन भुगतान से संबंधित दावों के लिए पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस http://pripaymanager.raj.nic.in पर जनरेट की जायेगी। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत निजी निक्षेप खातों से कोषालयों के माध्यम से सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस से इलेक्ट्रोनिक भुगतान/ समायोजन क्रमशः संबंधित लाभार्थियों/कार्मिकों/पेंशनर्स/थर्ड पार्टी/सर्विस प्रोवाईडर/वेण्डर इत्यादि के बैंक खातों में एवं पी.डी. खातें/बजट मद में किये जाने की व्यवस्था वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र संख्या 8752–9202 दिनांक 30.09.2016 में वर्णित प्रक्रियानुसार ही होगी।

पी.डी. खातों से पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किए जाने हेतु निजी निक्षेप खातों में दिनांक 01.08.2017 को संबंधित मदों में अवशेष रही राशि की सूचना (योजनवार) सम्बद्ध प्रशासक/संचालक द्वारा संबंधित कोषालय/ उपकोषालयों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जानी होगी। उसमें संवेतन एवं गैर संवेतन योजनाओं के अवशेष पृथक–पृथक कर एवं पूर्ण मिलान कर कोष/ उपकोष कार्यालयों को अवगत करवाये जायेगें, जिसकी कोष/उपकोष कार्यालय स्तर से सिस्टम पर जाँच की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र संबंधित संस्था/ निगम/निकाय/स्वायत्तशाषी संस्थान की पी.डी. खातें की पासबुक में अंकित किया जायेगा। इस हेतु पृथक–पृथक Balances Input, Authorization for updation in freezed balances की सुविधा उपलब्ध होगी।

नवीन प्रक्रिया हेतु स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था कोष/उपकोष कार्यालय स्तर पर की जायेगी। निजी निक्षेप खाता धारक संचालक/प्रशासक निर्धारित तिथि से पूर्व IFMS-Paymanager.raj.nic.in पर अपने लॉगिन पासवर्ड सम्बद्ध कोषालय से लेना सुनिश्चित करेगें।

नवीन प्रक्रिया का User Manual paymanager.raj.nic.in पर उपलब्ध रहेगा तथा किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु निम्न स्तरों से सम्पर्क किया जा सकेगा –

(1) एन.आई.सी. हेल्प डेस्क –0141–5111007
ई–मेल आई.डी. – paymanager.rj@gmail.com

(2) सहायक लेखाधिकारी–II (पी.डी.) – 0141– 2744402
ई–मेल आई.डी. – aaopd.ifms.@rajasthan.gov.in

(3) लेखाधिकारी (आई.एफ.एम.एस.) – 0141– 2744402
ई–मेल आई.डी. –ao-ifms-rj@nic.in
सूचना सहायक मेल आई.डी. –ia.ifms@rajasthan.gov.in

(4) अतिरिक्त निदेशक (आई.एफ.एम.एस.) – 0141– 2743752
ई–मेल आई.डी. –jdb-ta-rj@nic.in

21/4/17

(नवीन महाजन)
शासन सचिव वित्त (बजट)

1350-1590
21-04-2017

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीया मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव
3. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. संभागीय आयुक्त जयपुर, अजमेर, उदयपुर
11. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
12. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
13. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर
14. निदेशक वित्त (बजट) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
15. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर
16. कोषाधिकारी जयपुर (शहर/सचिवालय) को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
17. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित
18. श्री मनोज नागर, तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
19. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. पेंशन विभाग, जयपुर
20. श्री आई.डी. वरियानी, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
21. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग, सचिवालय जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
22. कोषाधिकारी, समस्त।

संयुक्त शासन सचिव